(c) if the answers to parts (a) and (b) in the affirmative, what steps Government are taking so that such like heart breaking senses shold not recur throughout the country?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

More funds for SC/ST Finance Development Corporation

4654. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the amount sanctioned to the National Scheduled Castes/Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for the year 1993-94; and the amount demanded by the Corporation;

(b) how far this amount is considered sufficient for the economic development of SC/STs on all India basis; and

(c) whether Government are going to sanction more funds; if so, by when?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Planning Commission approved an outlay of Rs. 21 crores for the financial year 1993-94 against a demand of Rs. 50 crores by National SC/ST Finance and Development Corporation.

(b) In view of the financial constraints of the Government the above mentioned amount has been sanctioned in order to accelerate the economic development of SCs/STs.

(c) The matter of increasing the outlay of National SC/ST Finance and Development Corporation has already been taken up with the Planning Commission.

डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की बैठक

4655. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 93 को डा० अम्बेडकर शताब्दी की राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। डा० अम्बेडकर शताब्दी संबंधी राष्ट्रीय समिति की चौथी बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 1993 को सम्पन्न हुई।

(ग) यह सिफारिश की गई कि शताब्दी समारोह के दौरान मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यक्रमों/क्रियाकलापों/योजनाओं को तालिका बद्ध किया जाना चाहिए तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रगति का मूल्यांकन और इसकी समीक्षा प्रथमतः कल्याण मंत्री के स्तर पर तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रधान मंत्री के स्तर पर की जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि यह देखने हेतु कुछ प्रबन्ध भी किये जाने चाहिए कि